

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2889 /2021


दिनांक : 16.12.2021

श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को दिनांक 10.01.2022 से 25.01.2022 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.01.2022 से 09.01.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 16.12.2021

कमांक:-स्था.बी.2(4)/11/1998/7925

दिनांक : 16.12.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1080 दिनांक 09.11.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II

  
सहायक रजिस्ट्रार